



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012021-224356  
CG-DL-E-13012021-224356

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]  
No. 97]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2021/पौष 22, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2021/PAUSHA 22, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2021

(आय-कर)

का.आ. 117(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 274 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम पहचान विहीन शास्ति स्कीम, 2021 है ;  
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं— (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(i) “अधिनियम” से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है;

(ii) “प्रेषिती” का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है ;

(iii) “निर्धारण इकाई” से यथास्थिति, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3क) के अधीन स्थापित या अधिनियम की धारा 144ख में निर्दिष्ट निर्धारण इकाई अभिप्रेत है;

(iv) “प्राधिकृत प्रतिनिधि” का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) में है ;

(v) “स्वचालित आबंटन प्रणाली” से साधनों के उपयोग के अनुकूलन करने की दृष्टि से उपयुक्त प्रौद्योगिक औजारों का जिसके अन्तर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यंत्र विद्वता भी है, प्रयोग करके मामलों के यादृच्छिक आबंटन के लिए कोई विधि-विशेष अभिप्रेत है ;

(vi) “बोर्ड” से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है ;

(vii) “कंप्यूटर साधन” का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में है;

(viii) “कंप्यूटर प्रणाली” का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में है;

(ix) “निर्धारिती का कंप्यूटर स्रोत” में आय-कर विभाग के पदाभिहित पोर्टल में निर्धारिती का रजिस्ट्रीकृत खाता, निर्धारिती की रजिस्ट्रीकृत मोबाईल संख्या से संयुक्त मोबाईल एप या निर्धारिती का उसके ई-मेल सेवा प्रदाता के साथ ई-मेल खाता सम्मिलित होगा;

(x) “अंकीय चिन्ह” का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में है;

(xi) “पदाभिहित पोर्टल” से राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र के भारसाधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक द्वारा यथा अभिहित वेब पोर्टल अभिप्रेत है;

(xii) “पहचान विहीन शास्ति” से पदाभिहित पोर्टल में निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से ‘ई-कार्यवाही’ सुविधा में इलेक्ट्रॉनिक ढंग से संचालित शास्ति कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं;

(xiii) “इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख” का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में है;

(xiv) “ई-मेल” या “इलेक्ट्रॉनिक मेल” और “इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश” से किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर संसाधन या संसूचना युक्ति, जिसके अंतर्गत पाठ में संलग्नक, चित्र, श्रव्य, दृश्य और कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जिसे संदेश के साथ संचारित किया जा सकता है, पर सृजित या संचारित या प्राप्त कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है;

(xv) “दुतान्वेषण फलन” और “दुतान्वेषण परिणाम” के वही अर्थ होंगे, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 3 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में हैं ;

(xvi) “मोबाइल ऐप” से मोबाइल युक्तियों के लिए विकसित आय-कर विभाग का एप्लीकेशन साफ्टवेयर अभिप्रेत है, जिसे निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या पर डाउनलोड और इंस्टाल किया जाता है;

(xvii) “राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र” से, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3क) के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र या अधिनियम की धारा 144ख में निर्दिष्ट राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र अभिप्रेत है;

(xviii) “आरंभक” का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यक) में हैं;

(xix) “शास्ति” से अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति अभिप्रेत है;

(xx) “वास्तविक समय चेतावनी” से कोई संसूचना अभिप्रेत है, जो उसे इलेक्ट्रानिक संसूचना के परिदान के संबंध में सतर्क करने के लिए उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या पर शार्ट संदेश सेवा द्वारा या उसके मोबाइल ऐप पर अपडेट द्वारा या उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर ई-मेल द्वारा भेजा जाता है;

(xxi) “क्षेत्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र” से यथास्थिति, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3क) के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन स्थापित क्षेत्रीय ई-निर्धारण स्कीम या अधिनियम की धारा 143ख में निर्दिष्ट क्षेत्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र अभिप्रेत है;

(xxii) निर्धारिती के “रजिस्ट्रीकृत खाता” से अभिहित पोर्टल में निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रानिक फाइलिंग खाता अभिप्रेत है;

(xxiii) “रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता” से वह ई-मेल पता अभिप्रेत है, जिस पर प्रेषिती को कोई इलेक्ट्रानिक संसूचना परिदत्त या संचारित की जा सकती है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है—

(क) अभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत प्रेषिती के इलेक्ट्रानिक फाइलिंग खाते में उपलब्ध ई-मेल पता; या

(ख) प्रेषिती द्वारा प्रस्तुत किए गए आय-कर विवरणी में अंतिम उपलब्ध ई-मेल पता; या

(ग) प्रेषिती से संबंधित स्थायी खाता संख्यांक डाटा बेस में उपलब्ध ई-मेल पता; या

(घ) प्रेषिती के कोई व्यष्टि होने की दशा में, जिसके पास आधार संख्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटा बेस में उपलब्ध प्रेषिती का ई-मेल पता; या

(ङ) प्रेषिती के कंपनी होने की दशा में, कंपनी का कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध ई-मेल पता; या

(च) आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रेषिती द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई ई-मेल पता;

(xxiv) निर्धारिती की “रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या” से अभिहित पोर्टल में निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रानिक फाइलिंग खाते के उपयोक्ता प्रोफाइल में प्रकट होने वाला निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की मोबाइल संख्या;

(xxv) “पुनर्विलोकन इकाई” से यथास्थिति, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3क) के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन स्थापित या अधिनियम की धारा 144ख में निर्दिष्ट पुनर्विलोकन इकाई अभिप्रेत है;

(xxvi) “नियम” से आय-कर नियम, 1962 अभिप्रेत है ;

(xxvii) “तकनीकी इकाई” से यथास्थिति, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3क) के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन स्थापित या अधिनियम की धारा 144ख में निर्दिष्ट तकनीकी इकाई अभिप्रेत है;

(xxviii) “सत्यापन इकाई” से यथास्थिति, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3क) के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन स्थापित या अधिनियम की धारा 144ख में निर्दिष्ट सत्यापन इकाई अभिप्रेत है;

(xxix) “वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी” से वास्तविक समय में लोगों के बीच संसूचना हेतु विभिन्न अवस्थानों पर उपयोक्ता द्वारा श्रव्य-दृश्य सिगनलों की प्राप्ति और संचारण के लिए प्रौद्योगिकी समाधान अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं।

**3. स्कीम का क्षेत्र-** इस स्कीम के अधीन शास्ति ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या आय या आय के वर्ग या मामले या मामले के वर्ग के संबंध में अधिरोपित, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संबंध में किया जाएगा।

**4. पहचानविहीन शास्ति केंद्र,- (1)** इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड निम्नलिखित की स्थापना कर सकेगा

(i) केंद्रीयकृत रीति में पहचानविहीन शास्ति की कार्रवाइयों के संचालन को सुविधानजनक बनाने के लिए एक राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र और इसमें इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने की अधिकारिता निहित है;

(ii) पहचानविहीन शास्ति की कार्रवाइयों के संचालन को सुविधानजनक बनाने के लिए क्षेत्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र, जिसे वह आवश्यक समझे, को इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने की अधिकारिता निहित है;

(iii) शास्ति इकाइयों को, जिसे वह आवश्यक समझे, पहचानविहीन शास्ति कार्यवाहियों के संचालन को सुकर बनाने के लिए, शास्ति आदेशों के प्रारूप के कृत्य के पालन के लिए, जिसके अंतर्गत अधिनियम के अधीन बिन्दुओं की पहचान करना या शास्ति को अधिरोपित करने के लिए मुद्दे, इस प्रकार पहचान किए गए बिन्दुओं या मुद्दों पर जानकारी या स्पष्टीकरण मांगना, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करना, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सामग्री का विश्लेषण और अन्य ऐसे कृत्य, जो शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों;

(iv) शास्ति पुनर्नियोजन इकाई, जिसे वह आवश्यक समझे, पहचानविहीन शास्ति कार्यवाहियों को सुकर बनाने के लिए, शास्ति आदेशों के प्रारूप के कृत्य के पालन के लिए, जिसके अंतर्गत यह जांच-पड़ताल करना है कि क्या सुसंगत तात्विक साक्ष्य को रिकॉर्ड में किया गया है, क्या तथ्य और विधि के सुसंगत बिन्दुओं को प्रारूप आदेश में सम्यक् रूप से निगमित किया गया है, क्या ऐसे मुद्दों पर, जिन पर शास्ति अधिरोपित की गई, प्रारूप आदेश में विचार विमर्श किया गया है, क्या लागू होने वाले न्यायिक विनिश्चयों पर विचार किया गया है और प्रारूप आदेश पर कार्रवाई की गई है, शास्ति की संगणना गणित संबंधी गलतियों की जांच पड़ताल, यदि कोई हो, की गई और ऐसे अन्य कृत्य जो पुनर्विलोकन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो;

और उससे संबंधित अधिकारिता को विनिर्दिष्ट करेगा।

(2) यथास्थिति, शास्ति इकाई के बीच सभी संसूचना और शास्ति पुनर्विलोकन इकाई या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किसी आयकर प्राधिकारी या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, इस स्कीम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए, जो आवश्यक हो, सूचना या दस्तावेज या साक्ष्य या कोई अन्य ब्यौरे के संबंध में राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र के माध्यम से दिए जाएंगे।

(3) शास्ति इकाई और शास्ति पुनर्विलोकन इकाई के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(क) अतिरिक्त आयुक्त या अतिरिक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक, जैसी भी दशा हो;

(ख) उप आयुक्त या उप निदेशक या सहायक आयुक्त या सहायक निदेशक या आयकर अधिकारी, जैसी भी दशा हो;

(ग) ऐसे अन्य आयकर प्राधिकारी, अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द, कार्यकारी या परामर्शी, बोर्ड द्वारा, जो भी आवश्यक समझा जाए।

(4) इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड उस तारीख तक जब राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र या क्षेत्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र, शास्ति इकाई या शास्ति पुनर्विलोकन इकाई स्थापित किए जाते हैं राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, क्षेत्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र, निर्धारण इकाई और पुनर्विलोकन इकाई क्रमशः राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र, क्षेत्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र, निर्धारण इकाई और पुनर्विलोकन इकाई के रूप में भी कार्य करेंगे।

**5. शास्ति की प्रक्रिया,-** (1) पैरा 3 में निर्दिष्ट मामले में शास्ति निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार इस स्कीम के अधीन उद्घोषित की जाएगी, अर्थात् :-

(i) जहां कोई आयकर प्राधिकारी या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र किसी मामले में,-

(क) शास्ति अधिरोपित करने के लिए शास्ति प्रक्रियाओं को आरंभ करता है और कारण बताओ सूचना जारी करना ; या

(ख) शास्ति प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने का सुझाव देता है,

पैरा 12 के खंड (viii) में निर्दिष्ट प्ररूप में ऐसे मामले को राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र को निर्दिष्ट करेगा ;

(ii) राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र, जहां खंड 1 के अनुसार निर्देश प्राप्त किए गए हैं, किसी स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से क्षेत्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्रों में से किसी एक में विनिर्दिष्ट शास्ति इकाई के रूप में ऐसे मामले को समनुदेशित करेगा;

(iii) जहां कोई मामला शास्ति इकाई को समनुदेशित किया गया है, शास्ति प्रक्रियाओं का आरंभ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की परीक्षा के पश्चात् ऐसी इकाई का सुझाव दिया गया है, या विनिश्चय कर सकेगा,-

(क) सुझाव पर सहमत हो और निर्धारिती को बुलाकर कोई प्ररूप सूचना तैयार करे या किसी अन्य व्यक्ति को, जैसी भी दशा हो कारण बताओ सूचना दे सके कि उसे क्यों न अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन शास्ति उद्घोषित की जाए; या

(ख) सुझाव से असहमत हो जाए, कारणों को अभिलिखित करते हुए और, यथास्थिति, ऐसे प्ररूप सूचना को या कारणों को राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र को भेज दे;

(iv) राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र प्ररूप सूचना की प्राप्ति पर या शास्ति इकाई से खंड 3 में निर्दिष्ट कारणों पर,-

(क) यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति पर प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए तारीख और समय विनिर्दिष्ट करते हुए खंड 3 के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार कारण बताओ सूचना की तामील करे ; या

(ख) खंड के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट मामलों में शास्ति प्रारंभ न करे ;

(v) जहां किसी शास्ति इकाई को समनुदेशित मामले में शास्ति प्रक्रिया पहले से ही प्रारंभ की गई है, ऐसी इकाई, यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को बुलाने के लिए एक प्ररूप सूचना तैयार करेगा, अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन यह कारण बताने के लिए कि उसे क्यों न शास्ति उद्धृत की जाए और राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र को ऐसी सूचना भेजी दी जाए;

(vi) राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र, यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए तारीख और समय विनिर्दिष्ट करते हुए खंड (v) में निर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार कारण बताओ सूचना की तामील करेगी;

(vii) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर खंड (iv) के उपखंड (क) या खंड (vi) में निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल करेगा या राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र को इस निमित्त आवेदन देकर इस आधार पर ऐसे विस्तारित तारीख और समय को अनुज्ञेय करा सकेगा;

(viii) जहां, यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्युत्तर फाइल किया जाता है, राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र उस प्रत्युत्तर को शास्ति इकाई को भेजेगा और जहां कोई ऐसा प्रत्युत्तर फाइल नहीं किया जाता है, शास्ति इकाई को सूचित करेगा;

(ix) शास्ति इकाई, राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र को निम्नलिखित के लिए अनुरोध कर सकेगा,-

(क) अतिरिक्त सूचना की प्राप्ति, दस्तावेज या किसी आयकर प्राधिकारी या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र से साक्ष्य की प्राप्ति ; या

(ख) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से अतिरिक्त सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करने के लिए ;

(ग) तकनीकी सहायता या सत्यापन के संचालन के लिए ;

(x) राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र खंड (ix) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट अनुरोध की प्राप्ति पर, यथास्थिति, आयकर प्राधिकारी या राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्युत्तर देने के लिए तारीख और समय को विनिर्दिष्ट करते हुए, शास्ति इकाई द्वारा, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समुचित सूचना जारी करेगा;

(xi) यथास्थिति, आयकर प्राधिकारी या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र या निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर खंड (x) में निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल करेगा या राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र को इस निमित्त आवेदन देकर इस आधार पर ऐसे विस्तारित तारीख और समय को अनुज्ञेय करा सकेगा;

(xii) जहां कतिपय जांच या सत्यापन या तकनीकी सहायता के संचालन के अनुरोध पर शास्ति इकाई, राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति इकाई द्वारा की गई है, ऐसे अनुरोध रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तारीख और समय विनिर्दिष्ट करते हुए, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजी जाएगी;

(xiii) जहां खंड (x) में निर्दिष्ट सूचना के प्रत्युत्तर में, यथास्थिति, आयकर प्राधिकारी या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फाइल किया जाता है, राष्ट्रीय पहचानविहीन शास्ति केंद्र,

शास्ति केंद्र को ऐसा प्रत्युत्तर भेजेगा और जहां ऐसा कोई प्रत्युत्तर फाइल नहीं किया जाता है, शास्ति इकाई को सूचित करेगा;

(xiv) जहां (xii) में निर्दिष्ट अनुरोध के प्रत्युत्तर की रिपोर्ट राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र द्वारा प्राप्त की जाती है, वह ऐसी रिपोर्ट को शास्ति यूनिट को भेजेगा और वहां ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जाती है, शास्ति यूनिट को सूचित करेगा ;

(xv) शास्ति यूनिट अभिलेख पर रखी गई सामग्री, जिसके अंतर्गत खंड (viii) और खंड (xiii) में यथानिर्दिष्ट प्रस्तुत किया गया प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, या खंड (xiv) में रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित के प्रयोजन के लिए,--

(क) शास्ति अधिरोपित करने और शास्ति के ऐसे अधिरोपण के लिए प्रारूप आदेश तैयार करने ;  
या

(ख) शास्ति अधिरोपित न करने के लिए,

कारणों को लेखबद्ध करते हुए, यथास्थिति, ऐसे प्रारूप आदेश के साथ कारणों को राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र को भेजेगा ।

(xvi) राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार, जिसके अंतर्गत स्वचालित जांच टूल है, खंड (xv) में निर्दिष्ट प्रस्ताव की जांच करेगा, जिस पर वह,-

(क) ऐसी दशा में, जहां शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव किया गया है, खंड (xv) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रारूप आदेश के अनुसार शास्ति पारित करेगा और उसकी एक प्रति की, यथास्थिति, निर्धारिती पर या किसी अन्य व्यक्ति पर तामील करेगा; या

(ख) ऐसी दशा में, जहां शास्ति अधिरोपित न करने का प्रस्ताव किया गया है, यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को संसूचना देते हुए शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा; या

(ग) ऐसे प्रस्ताव का पुनर्विलोकन संचालित करने के लिए स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से किसी प्रादेशिक पहचान विहीन शास्ति केंद्र में किसी शास्ति पुनर्विलोकन यूनिट को सौंपेगा ;

(xvii) शास्ति पुनर्विलोकन यूनिट खंड (xv) में यथानिर्दिष्ट शास्ति यूनिट के प्रस्ताव का पुनर्विलोकन करेगा, जिस पर वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसे प्रस्ताव से सहमत हो सकेगा या उसमें उपांतरण का सुझाव दे सकेगा और राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र को संसूचित करेगा;

(xviii) जहां शास्ति पुनर्विलोकन यूनिट शास्ति यूनिट के प्रस्ताव से सहमत होता है, वहां राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र खंड (xvi) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा;

(xix) जहां शास्ति पुनर्विलोकन यूनिट खंड (xv) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में प्रस्ताव के उपांतरण का सुझाव देता है, वहां राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र मामले को खंड (xv) में निर्दिष्ट शास्ति यूनिट से भिन्न किसी एक प्रादेशिक पहचान विहीन शास्ति केंद्र में किसी विनिर्दिष्ट शास्ति यूनिट को स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से सौंपेगा ;

(xx) जहां मामला खंड (xix) में निर्दिष्ट किसी शास्ति यूनिट को सौंपा जाता है तो ऐसा शास्ति यूनिट अभिलेख पर रखी गई सामग्री जिसके अंतर्गत शास्ति पुनर्विलोकन यूनिट द्वारा सुझाए गए उपांतरण और उसके लेखबद्ध कारण सम्मिलित हैं, पर विचार करने के पश्चात्,-

(क) ऐसी दशा में, जहां शास्ति पुनर्विलोकन यूनिट द्वारा सुझाए गए उपांतरण, खंड (xv) के अधीन शास्ति की तुलना में यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के हित के प्रतिकूल हैं, वह खंड (v) से खंड (xiv) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और शास्ति अधिरोपित करने का पुनरीक्षित प्रारूप आदेश तैयार करेगा; या

(ख) ऐसी दशा में, जहां उपांतरण, यथास्थिति निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के हित के प्रतिकूल नहीं है, शास्ति अधिरोपित करने के लिए पुनरीक्षित आदेश तैयार करेगा; या

(ग) कारणों को अभिलिखित करते हुए, शास्ति अधिरोपित न करने का प्रस्ताव कर सकेगा,

और ऐसे आदेश को या कारणों को राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र को भेजेगा;

(xxi) राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र खंड (xx) में यथानिर्दिष्ट शास्ति यूनिट से पुनरीक्षित प्रारूप आदेश की प्राप्ति पर ऐसे प्रारूप के अनुसार शास्ति तैयार करेगा और उसकी एक प्रति की निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति पर तामील करेगा या यथास्थिति, निर्धारित या किसी अन्य व्यक्ति को शास्ति अधिरोपित न करने से संसूचित करेगा।

(xxii) जहां खंड (i) के उपखंड (क) या (ख) में निर्दिष्ट मामले में, राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र में शास्ति आदेश पारित किया है या यथास्थिति, शास्ति आरंभ करने के लिए या अधिरोपित करने के लिए कोई आदेश पारित किया है, वह ऐसे आदेश की या शास्ति आरंभ करने की या अधिरोपित न करने के कारणों की प्रति, यथास्थिति, खंड (i) में निर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी या राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र को, जैसा कि अधिनियम के अधीन अपेक्षित हों, भेजेगा।

(2) उपपैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र का प्रभारी प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक शास्ति कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, यदि आवश्यक समझता है तो, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से ऐसी कार्यवाहियों को निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति जिसके मामले में शास्ति कार्यवाहियों आरंभ की गई हैं, पर अधिकारिता रखने वाले आयकर प्राधिकारी या राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र को अंतरित कर सकेगा।

**6. कार्यवाहियों की परिशुद्धि -** (1) अभिलेख पर प्रत्यक्ष किसी भूल की परिशुद्धि के लिए राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र लिखित में पारित किए जाने वाले आदेश द्वारा इस स्कीम के अधीन पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा।

(2) इस स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भूल को सुधार करने के लिए उपपैरा (1) में यथानिर्दिष्ट आवेदन राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र के पास निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा सकेगा,-

(क) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति; या

(ख) शास्ति यूनिट जिसने आदेश तैयार किया है; या

(ग) शास्ति पुनर्विलोकन यूनिट, जिसने आदेश का पुनर्विलोकन किया है; या

(घ) आयकर प्राधिकारी ; या

(ङ) राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र।



(3) जहां उपपैरा (2) में यथानिर्दिष्ट कोई आवेदन राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह ऐसे आवेदन को स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक प्रादेशिक पहचान विहीन शास्ति केंद्र में किसी विनिर्दिष्ट शास्ति यूनिट को सौंपेगा।

(4) शास्ति यूनिट आवेदन की जांच करेगा और निम्नलिखित को अवसर अनुदत्त करने के लिए नोटिस तैयार करेगा,-

(क) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति, जहां आवेदन उपपैरा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा फाइल किया गया है; या

(ख) जहां आवेदन, यथास्थिति, निर्धारिती द्वारा उपपैरा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा फाइल किया गया है, और

सूचना को राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र को भेजेगा।

(5) राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र उपपैरा (4) में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार नोटिस की प्रत्युत्तर फाइल करने की तारीख और समय को विनिर्दिष्ट करते हुए यह हेतुक उपदर्शित करने की अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन भूल का सुधार क्यों नहीं किया जाना चाहिए, यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति या उपपैरा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों को तामील करेगा।

(6) पैरा 5 में निर्दिष्ट हेतुक उपदर्शित करने की सूचना का प्रत्युत्तर विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर जैसा कि इस निमित्त राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र को किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात किया जाए, के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) जहां उपपैरा (6) में यथानिर्दिष्ट कोई प्रत्युत्तर फाइल किया जाता है, राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र ऐसे प्रत्युत्तर को शास्ति यूनिट को भेजेगा या जहां ऐसा प्रत्युत्तर फाइल नहीं किया जाता है, शास्ति यूनिट को सूचित करेगा।

(8) शास्ति यूनिट उपपैरा (7) में निर्दिष्ट प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्,-

(क) भूल को सुधारने के लिए प्रारूप आदेश तैयार करेगा ; या

(ख) भूल को सुधारने के आवेदन को कारण उपदर्शित करते हुए अस्वीकार करेगा,

और आदेश को राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र को भेजेगा।

(9) राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र उपपैरा (8) में यथानिर्दिष्ट प्रारूप आदेश की प्राप्ति पर प्रारूप के अनुसार आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश की,-

(क) यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को संसूचना देगा ; और

(ख) राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र या मामले पर अधिकारिता रखने वाला आयकर प्राधिकारी ऐसी कार्यवाही के लिए जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो, की संसूचना देगा।

**7. अपील कार्यवाहियां** – इस स्कीम के अधीन राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र द्वारा किए गए शास्ति आदेश के विरुद्ध अपील, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाले आयकर प्राधिकारी या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को की जा सकेगी ; और राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र से आयुक्त (अपील) को किसी संसूचना से, यथास्थिति, अधिकारिता रखनेवाला आयुक्त (अपील) या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र अभिप्रेत होगा।

**8. संचार का अनन्य रूप से इलैक्ट्रानिक ढंग से विनिमय** – (1) इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) यथास्थिति, राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र और निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के बीच सभी संचारों का विनिमय अनन्य रूप से इलैक्ट्रानिकी ढंग से किया जाएगा ; और

(ख) राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र, राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र, प्रादेशिक पहचान विहीन शास्ति केंद्र, किसी आय-कर प्राधिकारी, शास्ति यूनिट या शास्ति पुनर्विलोकन यूनिट के बीच सभी आंतरिक संचारों का विनिमय अनन्य रूप से इलैक्ट्रानिक ढंग से किया जाएगा।

**9. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन –** इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन,-

(i) राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर चस्पा करके किया जाएगा ;

(ii) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर चस्पा करके किया जागा, यदि उसे नियमों के अधीन अपनी आय-कर विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा हों और किसी अन्य मामले में डिजिटल हस्ताक्षर चस्पा करके या इलैक्ट्रानिकी सत्यापन कूट के अधीन किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस पैरा के प्रयोजनों के लिए “इलैक्ट्रानिक सत्यापन कूट” का वहीं अर्थ होगा जो इन नियमों के नियम 12 में उसे निर्दिष्ट किया गया है।

**10. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का परिदान –** (1) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संचार का परिदान निर्धारिती को या किसी अन्य व्यक्ति को,

(क) यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत खाते में उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति रखकर; या

(ख) उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति को, यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते पर; या

(ग) यथास्थिति, निर्धारिती के या किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल एप पर अधिप्रमाणित प्रति को अपलोड करके, किया जाएगा और

जिसका वास्तविक समय चेतावनी द्वारा अनुसरण किया जाएगा।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संचार का पाने वाले को, जो कोई अन्य व्यक्ति है उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति का ऐसे व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते पर परिदान किया जाएगा जिसका अनुसरण वास्तविक समय चेतावनी द्वारा किया जाएगा।

(3) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति इस स्कीम के अधीन किसी नोटिस या आदेश या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक संचार का प्रत्युत्तर अपने रजिस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से फाइल करेगा और राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र द्वारा अभिस्वीकृति भेजे जाने पर, जिसमें ऐसे प्रत्युत्तर के सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर सृजित हैश परिणाम अंतर्विष्ट है, प्रत्युत्तर को अधिप्रमाणित माना जाएगा।

(4) इलैक्ट्रानिक अभिलेख के पारेषण और प्राप्ति का समय और स्थान का अवधारण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 13 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

**11. केंद्रों या यूनिटों में वैयक्तिक उपस्थिति का न होना—**

(1) किसी व्यक्ति से इस स्कीम के अधीन राष्ट्रीय पहचान विहीन शास्ति केंद्र या प्रादेशिक पहचान विहीन शास्ति केंद्र या शास्ति यूनिट या शास्ति पुनर्विलोकन यूनिट, जिसे इस स्कीम के अधीन स्थापित किया गया है, के समक्ष इस स्कीम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में या तो वैयक्तिक रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि वैयक्तिक सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकेगा ताकि वह मौखिक दलील दे सके या अपने मामले को इस स्कीम के अधीन शास्ति यूनिट के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

(3) मुख्य आयुक्त या प्रादेशिक पहचान विहिन शास्ति केंद्र का भारसाधक महानिदेशक, जिसके अधीन संबंधित शास्ति यूनिट स्थापित की गई है, उपपैरा (2) में निर्दिष्ट वैयक्तिक सुनवाई के लिए अनुरोध का अनुमोदन कर सकेगा यदि उसके मत में अनुरोध ऐसी परिस्थितियों के अधीन आता है, जो पैरा 12 के खंड (ix) के अधीन अधिकथित की गई हैं।

(4) जब वैयक्तिक सुनवाई के अनुरोध का मुख्य आयुक्त या प्रादेशिक पहचान विहिन शास्ति केंद्र के भारसाधक महानिदेशक द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है, तो ऐसी सुनवाई का संचालन अनन्य रूप से बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार वीडियो संगोष्ठी के माध्यम से किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग है, जो वीडियो टेलीफोनी में सहायता करता है।

(5) बोर्ड वीडियो संगोष्ठी के लिए समुचित सुविधाओं, जिसके अंतर्गत दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर हैं, जो वीडियो टेलीफोनी में सहायता करते हैं, की ऐसे अवस्थानों पर, जो आवश्यक हो, स्थापना करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या कोई अन्य व्यक्ति को इस स्कीम के अधीन फायदों से केवल इस कारण से वंचित न होना पड़े कि ऐसे निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति के पास वीडियो संगोष्ठी तक पहुंच नहीं थी।

**12. प्रारूप ढंग प्रक्रिया और प्रोसेस विनिर्दिष्ट करने की शक्ति**—प्रधान मुख्य आयुक्त या राष्ट्रीय पहचान विहिन शास्ति केंद्र का भारसाधक महानिदेशक बोर्ड के अनुमोदन से इस स्कीम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय पहचान विहिन शास्ति केंद्र, प्रादेशिक पहचान विहिन शास्ति केंद्र, शास्ति यूनिट और शास्ति पुनर्विलोकन यूनिट के प्रभावी कार्यकरण के लिए स्वचालित और यांत्रिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में प्रारूप, ढंग, प्रक्रिया और प्रोसेस मानक, प्रक्रिया और प्रोसेस हैं, अधिकथित करेगा।

- (i) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संचार की तामील;
- (ii) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्ति से किसी सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति;
- (iii) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर की अभिस्वीकृति जारी करना;
- (iv) "ई-कार्यवाही" जिसके अंतर्गत लॉगिन खाता सुविधा, शास्ति कार्यवाहियों की प्रास्थिति की ट्रेकिंग और डाउनलोड करने की सुविधा है, का उपबंध;
- (v) सूचना और प्रत्युत्तर को एक्सेस करना, सत्यापन और अधिप्रमाणित करना, जिसके अंतर्गत शास्ति कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज हैं;
- (vi) केंद्रीकृत रीति में सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति, भंडारण और रिट्रीवल;
- (vii) संबंधित केंद्रों और यूनिटों में साधारण प्रशासन और शिकायत अनुतोष तंत्र;
- (viii) किसी मामले को निर्दिष्ट करने का प्ररूप, जिसमें शास्ति संस्थित की गई है या शास्ति संस्थित करने की सिफारिश की गई है, जैसा कि पैरा 5 के उप पैरा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट किया गया है; और

- (ix) वह परिस्थितियां, जिनमें पैरा 11 के उप-पैरा 3 के उपबंधों के अनुसार वैयक्तिक सुनवाई का अनुमोदन किया गया है।

[अधिसूचना सं. 02/2021][फा.सं.370142/51/2020-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th January, 2021

**(INCOME-TAX)**

**S.O. 117(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 274 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Scheme may be called the Faceless Penalty Scheme, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Definitions .**— (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires, —

- (i) “Act” means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (ii) “addressee” shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (iii) “assessment unit” means the assessment unit set up under the scheme notified under sub-section (3A) of section 143 of the Act or referred to in section 144B of the Act, as the case may be;
- (iv) “authorised representative” shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (2) of section 288 of the Act;
- (v) “automated allocation system” means an algorithm for randomised allocation of cases, by using suitable technological tools, including artificial intelligence and machine learning, with a view to optimise the use of resources;
- (vi) “Board” means the Central Board of Direct Taxes constituted under the Central Board of Revenues Act, 1963 (54 of 1963);
- (vii) “computer resource” shall have the same meaning as assigned to it in clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (viii) “computer system” shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (ix) “computer resource of assessee” shall include assessee’s registered account in designated portal of the Income-tax Department, the Mobile App linked to the registered mobile number of the assessee, or the registered email address of the assessee with his email service provider;
- (x) “digital signature” shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (xi) “designated portal” means the web portal designated as such by the Principal Chief Commissioner or Principal Director General, in charge of the National Faceless Penalty Centre;
- (xii) “faceless penalty” means the penalty proceedings conducted electronically in 'e-proceeding' facility through assessee’s registered account in designated portal;
- (xiii) “electronic record” shall have the same meaning as assigned to it in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (xiv) “email” or “electronic mail” and “electronic mail message” means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device

including attachments in text, image, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message.;

- (xv) “hash function” and “hash result” shall have the same meaning as assigned to them in the *Explanation* to sub-section (2) of section 3 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (xvi) “Mobile app” shall mean the application software of the Income-tax Department developed for mobile devices which is downloaded and installed on the registered mobile number of the assessee;
- (xvii) “National Faceless Assessment Centre” shall mean the National e-Assessment Centre set up under the scheme notified under sub-section (3A) of section 143 of the Act or the National Faceless Assessment Centre referred to in section 144B of the Act, as the case may be;
- (xviii) “originator” shall have the same meaning as assigned to it in clause (za) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (xix) “penalty” means the penalty imposable under the Act;
- (xx) “real time alert” means any communication sent to the assessee, by way of Short Messaging Service on his registered mobile number, or by way of update on his Mobile App, or by way of an email at his registered email address, so as to alert him regarding delivery of an electronic communication;
- (xxi) “Regional Faceless Assessment Centre” shall mean the Regional e-Assessment Centre set up under the scheme notified under sub-section (3A) of section 143 of the Act or the Regional Faceless Assessment Centre referred to in section 144B of the Act, as the case may be;
- (xxii) “registered account” of the assessee means the electronic filing account registered by the assessee in the designated portal;
- (xxiii) “registered e-mail address” means the e-mail address at which an electronic communication may be delivered or transmitted to the addressee, including-
- (a) the email address available in the electronic filing account of the addressee registered in the designated portal; or
  - (b) the e-mail address available in the last income-tax return furnished by the addressee; or
  - (c) the e-mail address available in the Permanent Account Number database relating to the addressee; or
  - (d) in the case of addressee being an individual who possesses the Aadhaar number, the e-mail address of addressee available in the database of Unique Identification Authority of India ;or
  - (e) in the case of addressee being a company, the e-mail address of the company as available on the official website of Ministry of Corporate Affairs; or
  - (f) any e-mail address made available by the addressee to the income-tax authority or any person authorised by such authority;
- (xxiv) “registered mobile number” of the assessee means the mobile number of the assessee, or his authorised representative, appearing in the user profile of the electronic filing account registered by the assessee in the designated portal;
- (xxv) “review unit” means the review unit set up under the scheme notified under sub-section (3A) of section 143 of the Act or referred to in section 144B of the Act, as the case may be;
- (xxvi) “Rules” means the Income-tax Rules, 1962;
- (xxvii) “technical unit” means the technical unit set up under the scheme notified under sub-section (3A) of section 143 of the Act or referred to in section 144B of the Act, as the case may be;
- (xxviii) “verification unit” means the verification unit set up under the scheme notified under sub-section (3A) of section 143 of the Act or referred to in section 144B of the Act, as the case may be;
- (xxix) “video conferencing or video telephony” means the technological solutions for the reception and transmission of audio-video signals by users at different locations, for communication between people in real-time.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

**3. Scope of the Scheme.**— The penalty under this Scheme shall be imposed in respect of such territorial area, or persons or class of persons, or income or class of income or cases or class of cases, or penalties or class of penalties as may be specified by the Board.

**4. Faceless Penalty Centres.**—(1) For the purposes of this Scheme, the Board may set up —

- (i) a National Faceless Penalty Centre to facilitate the conduct of faceless penalty proceedings in a centralised manner and vest it with the jurisdiction to impose penalty in accordance with the provisions of this Scheme;
- (ii) Regional Faceless Penalty Centres, as it may deem necessary, to facilitate the conduct of faceless penalty proceedings, which shall be vested with the jurisdiction to impose penalty in accordance with the provisions of this Scheme;
- (iii) penalty units, as it may deem necessary, to facilitate the conduct of faceless penalty proceedings, to perform the function of drafting penalty orders, which includes identification of points or issues for imposition of penalty under the Act, seeking information or clarification on points or issues so identified, providing opportunity of being heard to the assessee or any other person, analysis of the material furnished by the assessee or any other person, and such other functions as may be required for the purposes of imposing penalty;
- (iv) penalty review units, as it may deem necessary, to facilitate the conduct of faceless penalty proceedings, to perform the functions of review of draft penalty order, which includes checking whether the relevant material evidence has been brought on record, whether the relevant points of fact and law have been duly incorporated in the draft order, whether the issues on which penalty is to be imposed have been discussed in the draft order, whether the applicable judicial decisions have been considered and dealt with in the draft order, checking arithmetical correctness of computation of penalty, if any, and such other functions as may be required for the purposes of review,

and specify their respective jurisdiction.

(2) All communication among the penalty unit and penalty review unit or with the assessee or any other person, as the case may be, or any income-tax authority or the National Faceless Assessment Centre, with respect to the information or documents or evidence or any other details as may be necessary for the purposes of imposing penalty under this Scheme, shall be through the National Faceless Penalty Centre.

(3) The penalty unit and the penalty review unit shall have the following authorities, namely:—

- (a) Additional Commissioner or Additional Director or Joint Commissioner or Joint Director, as the case may be;
- (b) Deputy Commissioner or Deputy Director or Assistant Commissioner or Assistant Director, or Income-tax Officer, as the case may be;
- (c) such other income-tax authority, ministerial staff, executive or consultant, as may be considered necessary by the Board.

(4) The Board for the purposes of this Scheme shall, until the date on which the National Faceless Penalty Centre or the Regional Faceless Penalty Centres, the penalty units or the penalty review units are set up, direct the National Faceless Assessment Centre, Regional Faceless Assessment Centre, assessment unit and review unit to also act as the National Faceless Penalty Centre, Regional Faceless Penalty Centre, the penalty unit and the penalty review unit, respectively.

**5. Procedure in penalty.**— (1) The penalty in a case referred to in paragraph 3 shall be levied under this Scheme as per the following procedure, namely:—

- (i) where any income-tax authority or the National Faceless Assessment Centre has, in a case,—
  - (a) initiated penalty proceedings and issued a show-cause notice for imposition of penalty; or
  - (b) recommended initiation of penalty proceedings,it shall refer such case, in the form specified in clause (viii) of paragraph 12, to the National Faceless Penalty Centre;
- (ii) the National Faceless Penalty Centre shall in a case, where reference has been received as per clause (i), assign such case to a specific penalty unit in any one of the Regional Faceless Penalty Centres through an automated allocation system;

- (iii) where in a case assigned to a penalty unit, initiation of penalty proceedings has been recommended, such unit, after examination of the material available on record, may decide to,—
- (a) agree with the recommendation and prepare a draft notice calling upon the assessee or any other person, as the case may be, to show cause as to why penalty should not be levied under the relevant provisions of the Act; or
  - (b) disagree with the recommendation, for reasons to be recorded in writing,
- and send such draft notice or the reasons, as the case may be, to the National Faceless Penalty Centre;
- (iv) the National Faceless Penalty Centre shall upon receipt of the draft notice or reasons referred to in clause (iii) from the penalty unit,—
- (a) serve the show-cause notice, as per the draft referred to in sub-clause (a) of clause (iii), upon the assessee or any other person, as the case may be, specifying the date and time for filing a response; or
  - (b) not initiate penalty in cases referred to in sub-clause (b) of clause (iii);
- (v) where in the case assigned to a penalty unit, penalty proceedings are already initiated, such unit shall prepare a draft notice calling upon the assessee or any other person, as the case may be, to show cause as to why penalty should not be levied under the relevant provisions of the Act and send such notice to the National Faceless Penalty Centre;
- (vi) the National Faceless Penalty Centre shall serve the show-cause notice, as per draft referred to in clause (v), upon the assessee or any other person, as the case may be, specifying the date and time for filing a response;
- (vii) the assessee or any other person, as the case may be, shall file a response to the show-cause notice, referred to in sub-clause (a) of clause (iv) or in clause (vi), within the date and time specified therein, or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf, with the National Faceless Penalty Centre;
- (viii) where response is filed by the assessee or any other person, as the case may be, the National Faceless Penalty Centre shall send such response to the penalty unit, and where no such response is filed, inform the penalty unit;
- (ix) the penalty unit may make a request to the National Faceless Penalty Centre for, —
- (a) obtaining further information, documents or evidence from any income-tax authority or the National Faceless Assessment Centre; or
  - (b) obtaining further information, documents or evidence from the assessee or any other person; or
  - (c) seeking technical assistance or conducting verification;
- (x) the National Faceless Penalty Centre shall, upon receipt of request, referred to in sub-clauses (a) or (b) of clause (ix), issue appropriate notice or requisition to the income-tax authority or the National Faceless Assessment Centre or the assessee or any other person, as the case may be, to submit such information, documents or evidence, as may be specified by the penalty unit, specifying the date and time for furnishing a response;
- (xi) the income-tax authority or the National Faceless Assessment Centre or the assessee or any other person, as the case may be, shall furnish a response to the notice or requisition, as referred to in clause (x), within the date and time specified therein, or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf, to the National Faceless Penalty Centre;
- (xii) where a request for conducting of certain enquiry or verification or seeking technical assistance has been made by the penalty unit, the National Faceless Penalty Unit shall send such request to the National Faceless Assessment Centre specifying a date and time for submitting a report;

- (xiii) where response to notice referred to in clause (x) is filed by the income-tax authority or the National Faceless Assessment Centre or the assessee or any other person, as the case may be, the National Faceless Penalty Centre shall send such response to the penalty unit, and where no such response is filed, inform the penalty unit;
- (xiv) where a report in response to request referred to in clause (xii) is received by the National Faceless Penalty Centre, it shall send such report to the penalty unit, and where no such report is received, inform the penalty unit;
- (xv) the penalty unit shall, after considering the material on record including response furnished, if any, as referred to in clauses (viii) and (xiii) or report, if any, as referred to in clause (xiv), propose for,—
- imposition of the penalty and prepare a draft order for such imposition of penalty; or
  - non-imposition of the penalty,
- for reasons to be recorded in writing and send the proposal along with such draft order or reasons, as the case may be, to the National Faceless Penalty Centre;
- (xvi) the National Faceless Penalty Centre shall examine the proposal, as referred to in clause (xv), in accordance with the risk management strategy specified by the Board, including by way of an automated examination tool, whereupon it may decide, -
- in a case where imposition of penalty has been proposed, to pass the penalty order as per draft order referred to in sub-clause (a) of clause (xv), and serve a copy thereof upon the assessee or any other person, as the case may be; or
  - in a case where non-imposition of penalty has been proposed, not to impose penalty under intimation to the assessee or any other person, as the case may be; or
  - assign the case to a penalty review unit in any one of the Regional Faceless Penalty Centres through an automated allocation system, for conducting review of such proposal;
- (xvii) the penalty review unit shall review the proposal of penalty unit, as referred to in clause (xv), whereupon it may concur with, or suggest modification to, such proposal, for reasons to be recorded in writing, and intimate the National Faceless Penalty Centre;
- (xviii) where the penalty review unit concurs with the proposal of penalty unit, the National Faceless Penalty Centre shall follow the procedure laid down in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (xvi);
- (xix) where the penalty review unit suggests modification to the proposal in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (xv), the National Faceless Penalty Centre shall assign the case to a specific penalty unit, other than the penalty unit referred to in clause (xv), in any one of the Regional Faceless Penalty Centres through an automated allocation system;
- (xx) where the case is assigned to a penalty unit, as referred to in clause (xix), such penalty unit, after considering the material on record including suggestions for modification and reasons recorded by the penalty review unit,—
- in a case where the modifications suggested by the penalty review unit are prejudicial to the interest of assessee or any other person, as the case may be, as compared to the proposal of the penalty unit under clause (xv), shall follow the procedure laid down in clauses (v) to (xiv) and prepare a revised draft order for imposition of penalty; or
  - in a case where the modification are not prejudicial to the interest of assessee or any other person, as the case may be, shall prepare a revised draft order for imposition of penalty; or
  - may propose non-imposition of penalty, for reasons to be recorded in writing,
- and send such order or reasons to the National Faceless Penalty Centre;
- (xxi) upon receipt of revised draft order from the penalty unit, as referred to in clause (xx), the National Faceless Penalty Centre shall pass the penalty order as per such draft and serve a copy thereof upon the assessee or any other person or not impose penalty under intimation to the assessee or any other person, as the case may be;



- (xxii) where in a case, as referred to in sub-clause (a) or (b) of clause (i), the National Faceless Penalty Centre has passed a penalty order, or not initiated or imposed penalty, as the case may be, it shall send a copy of such order or reasons for not initiating or imposing penalty to the income-tax authority, referred to in clause (i) or the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, for such action as may be required under the Act.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), the Principal Chief Commissioner or the Principal Director General, in charge of the National Faceless Penalty Centre, may at any stage of the penalty proceedings, if considered necessary, transfer such proceedings to the income-tax authority or the National Faceless Assessment Centre having jurisdiction over the assessee or any other person, in whose case the penalty proceedings are initiated, with the prior approval of the Board.

**6. Rectification Proceedings.** – (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record the National Faceless Penalty Centre may, by an order to be passed in writing, amend any order passed by it under this Scheme.

(2) Subject to the other provisions of this Scheme, an application for rectification of mistake, as referred to in sub-paragraph (1), may be filed with the National Faceless Penalty Centre by the, —

- (a) assessee or any other person, as the case may be; or
- (b) penalty unit, which prepared the order; or
- (c) penalty review unit, which reviewed the order; or
- (d) income-tax authority; or
- (e) National Faceless Assessment Centre.

(3) Where an application, as referred to in sub-paragraph (2), is received by the National Faceless Penalty Centre, it shall assign such application to a specific penalty unit in any one of the Regional Faceless Penalty Centres through an automated allocation system.

(4) The penalty unit shall examine the application and prepare a notice for granting an opportunity,—

- (a) to the assessee or any other person, as the case may be, where the application has been filed by the authorities referred to in clauses (b) or (c) or (d) or (e) of sub-paragraph (2); or
- (b) to the authorities referred to in clauses (b) or (c) or (d) or (e) of sub-paragraph (2), where the application has been filed by the assessee or any other person, as the case may be, and

send the notice to the National Faceless Penalty Centre.

(5) The National Faceless Penalty Centre shall serve the notice, as per draft referred to in sub-paragraph (4), upon the assessee or any other person, as the case may be, or authorities referred to in clauses (b) or (c) or (d) or (e) of sub-paragraph (2) to show cause as to why rectification of mistake should not be carried out under the relevant provisions of the Act, specifying the date and time for filing a response.

(6) The response to the show-cause notice referred to in paragraph (5) shall be furnished within the specified date and time or such extended time as may be allowed on the basis of application made in this behalf, to the National Faceless Penalty Centre.

(7) Where a response, as referred to in sub-paragraph (6), is filed, the National Faceless Penalty Centre shall send such response to the penalty unit, or where no such response is filed, inform the penalty unit.

(8) The penalty unit shall, after taking into consideration the response, if any, referred to in sub-paragraph (7), prepare a draft order,—

- (a) for rectification of the mistake; or
- (b) for rejection of application for rectification, citing reasons thereof,

and send the order to the National Faceless Penalty Centre.

(9) The National Faceless Penalty Centre shall upon receipt of draft order, as referred to in sub-paragraph (8), pass an order as per such draft and communicate such order to, —

- (a) the assessee or any other person, as the case may be; and
- (b) the National Faceless Assessment Centre or the income-tax authority having jurisdiction over the case, for such action as may be required under the Act.

**7. Appellate Proceedings.** – An appeal against a penalty order made by the National Faceless Penalty Centre under this Scheme shall lie before the Commissioner (Appeals) having jurisdiction over the jurisdictional income-tax authority or before the National Faceless Appeal Centre, as the case may be; and any reference to the Commissioner (Appeals) in any communication from the National Faceless Penalty Centre shall mean such jurisdictional Commissioner (Appeals) or the National Faceless Appeal Centre, as the case may be.

**8. Exchange of communication exclusively by electronic mode.**— (1) For the purposes of this Scheme,—

- (a) all communications between the National Faceless Penalty Centre and the assessee or any other person, as the case may be, or his authorised representative, shall be exchanged exclusively by electronic mode; and
- (b) all internal communications between the National Faceless Penalty Centre, National Faceless Assessment Centre, Regional Faceless Penalty Centres, any income-tax authority, the penalty unit or the penalty review unit shall be exchanged exclusively by electronic mode.

**9. Authentication of electronic record.**— For the purposes of this Scheme, an electronic record shall be authenticated by the,—

- (i) National Faceless Penalty Centre by affixing its digital signature;
- (ii) assessee or any other person, by affixing his digital signature if he is required under the Rules to furnish his return of income under digital signature, and in any other case by affixing his digital signature or under electronic verification code.

*Explanation.* – For the purpose of this paragraph, “electronic verification code” shall have the same meaning as referred to in rule 12 of the Rules.

**10. Delivery of electronic record.**—(1) Every notice or order or any other electronic communication under this Scheme shall be delivered to the addressee, being the assessee or any other person, by way of,—

- (a) placing an authenticated copy thereof in the assessee’s or any other person’s registered account, as the case may be; or
- (b) sending an authenticated copy thereof to the registered email address of the assessee or any other person, as the case may be, or his authorised representative; or
- (c) uploading an authenticated copy on the assessee’s or any other person’s Mobile App, as the case may be, and

followed by a real time alert.

(2) Every notice or order or any other electronic communication under this Scheme shall be delivered to the addressee, being any other person, by sending an authenticated copy thereof to the registered email address of such person, followed by a real time alert.

(3) The assessee or any other person, as the case may be, shall file his response to any notice or order or any other electronic communication, under this Scheme, through his registered account, and once an acknowledgement is sent by the National Faceless Penalty Centre containing the hash result generated upon successful submission of response, the response shall be deemed to be authenticated.

(4) The time and place of dispatch and receipt of electronic record shall be determined in accordance with the provisions of section 13 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

**11. No personal appearance in the Centres or Units.**—(1) A person shall not be required to appear either personally or through authorised representative in connection with any proceedings under this Scheme before the income-tax authority at the National Faceless Penalty Centre or Regional Faceless Penalty Centre or penalty unit or penalty review unit set up under this Scheme.

(2) The assessee or any other person, as the case may be, or his authorised representative, may request for personal hearing so as to make his oral submissions or present his case before the penalty unit under this Scheme.

(3) The Chief Commissioner or the Director General, in charge of the Regional Faceless Penalty Centre, under which the concerned penalty unit is set up, may approve the request for personal hearing, as referred to in sub-paragraph (2), if he is of the opinion that the request is covered by the circumstances laid down under clause (ix) of paragraph 12.

(4) Where the request for personal hearing has been approved by the Chief Commissioner or the Director General, in charge of the Regional Faceless Penalty Centre, such hearing shall be conducted exclusively through video

conferencing, including use of any telecommunication application software which supports video telephony, in accordance with the procedure laid down by the Board;

(5) The Board shall establish suitable facilities for video conferencing including telecommunication application software which supports video telephony at such locations as may be necessary, so as to ensure that the assessee, or his authorised representative, or any other person is not denied the benefit of this Scheme merely on the ground that such assessee or his authorised representative, or any other person does not have access to video conferencing at his end.

**12. Power to specify format, mode, procedure and processes.**— The Principal Chief Commissioner or the Principal Director General, in charge of the National Faceless Penalty Centre shall, with the approval of Board, lay down the standards, procedures and processes for effective functioning of the National Faceless Penalty Centre, the Regional Faceless Penalty Centre, the penalty unit and the penalty review unit set-up under this Scheme, in an automated and mechanised environment, including format, mode, procedure and processes in respect of the following, namely:—

- (i) service of the notice, order or any other communication;
- (ii) receipt of any information or documents from the person in response to the notice, order or any other communication;
- (iii) issue of acknowledgment of the response furnished by the person;
- (iv) provision of “e-proceedings” facility including login account facility, tracking status of penalty proceedings, display of relevant details, and facility of download;
- (v) accessing, verification and authentication of information and response including documents submitted during the penalty proceedings;
- (vi) receipt, storage and retrieval of information or documents in a centralised manner;
- (vii) general administration and grievance redressal mechanism in the respective Centres and units;
- (viii) form for referring a case, in which penalty has been initiated or initiation of penalty has been recommended, as referred to in clause (i) of sub-paragraph (1) of paragraph 5 and
- (ix) circumstances in which personal hearing may be approved as per sub-paragraph (3) of paragraph 11.

[Notification No. 02 /2021] [F.No.370142/51/2020-TPL]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation